Maharashtra State Governmenment Reconised Union
General Administation Department Resolution dated 03.09.2016

शासकीय पुर्ननियुक्त माजी सैनिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य

GOVERNMENT RE-EMPLOED EX-SERVICEMEN UNION, MAHARASHTRA STATE

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

Address: Shri. Santosh Malewar, General Secretary,Plot No.1119/1A, Ashirwad Nagar, Bank colony, Nagpur-440024
E-Mail : secsainikmaha@gmail.com, Mobile No.. 9970098765 Website : : www.sainikmaha.com

President	Dy. President	General Secretary	Secretary	Treasurer
Shri.Bajirao Deshmukh	Shri.Rajeev Jamodkar	Shri.Santosh Malewar	Shri.Balasaheb Jadhav	Shri.Vivek Pandey
7350613118	9421561107	9923200051	8390499025	9421484398

Advisory Board

Shri.Chandrashekhar Alegaonkar
Shri.Kamlakar Shete
Shri.Prakash Kulkarni
Shri.Sudhkar Takit
Shri.Suresh Mane
Shri.Dilawar Shadiwan
Shri.Vilas Ghadge

No. GREESMU/MS/ /2022 Date : Aug, 2022

प्रति,

श्री.सत्यपाल सिंह बघेल,
मा. राज्यमंत्री, विधी एवं न्याय,
भारत सरकार

विषय : भारतीय सेनामे कार्यरत सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकोंको विविध लाभ मंजूर करने और सरकार के अंतर्गत विविध कल्याणकारी योजनाए सुनिश्चित करणे हेतु.

महोदय,

उपरोक्त विषय के बारेमे भूतपूर्व सैनिक और उनके परीवार जनोंके तरफसे निम्नलिखीत माँगे राज्य सरकार के सामने कई बार रखी है. निम्नलिखीत माँगोमे से ज्यादातर माँगे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है. इसलिए आपसे विनंती है की, निम्न माँगोपर विचार करके पूरी करने का सरकार की तरफ से प्रयास किया जाए.

१. अनुकंपा : शहिद सैनिकोंके परिवार एवं घायल सैनिकोंको अनुकंपा (Compassionate Ground) के अंतर्गत केंद्रीय तथा राज्य सरकारी सेवामे तुरंत सामील करना /नोकरी देना चाहिए.
२. ECHS : Ex Servicemen Contributory Health Scheme : भूतपूर्व सैनिक तथा परिवार को "भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना" हर तहसिल मे शुरु होना चाहिए.
३. CSD : भूतपूर्व सैनिकोंके लिए हर तहसिलमे सी.एस.डी.कॅन्टीन की सेवा उपलब्ध होना चाहिए.
४. शहिद सैनिकोंके स्मारक के लिए हर तहसिलमे जगह आवंटित किया जाना चाहिए.
५. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पद पर भूतपूर्व सेना अधिकारी की नियुक्ती की जाती है. अफसरोंकी कमी के कारण बहुत से जिलोंमे सैनिक कल्याण अधिकारी नही है. इसलिए इस पद पर सेना के जेसीओ तथा जवान को भी भरती किया जाना चाहिए.
६. भूतपूर्व सैनिकोंके लिए हर राज्य मे क्लास-१ और क्लास-२ मे १५% जगह आरक्षण व्दारा निर्धारीत किया जाना चाहिए.
७. कार्यरत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए "सैनिक सुरक्षा कानून" तैयार किया जाना चाहिए.
८. राज्य सरकारी नोकरी मे कार्यरत भूतपूर्व सैनिक जो कि, सन २००५ से पहले सेनामें कार्यरत थे, उनको पुरानी पेन्शन योजना का लाभ मंजूर किया जाना चाहिए.
९. भूतपूर्व सैनिकोंके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदमे कुछ सिटोंपर आरक्षण दिया जाना चाहिए.

उपर नमूद विषयोंपर चर्चा के लिए मा.रक्षा मंत्री महोदय, भारत सरकार के साथ मिटिंग का समय तथा तारीख निर्धारीत करने की विनंती है.

आपका,

(बाजीराव देशमुख)
राज्याध्यक्ष
GOVERNMENT RE-EMPLOED EX-SERVICEMEN UNION, MAHARASHTRA STATE